

तारीख  
हुण्ड

हुण्ड की कार्यवाही इनिशियल जज

3217

कुन्याया करीबत उपाधित। शर्कीगण ने भर  
 शर्कीगण-पन ३०००० अर्थात् १ विगत १ अ. ३०  
 अथ शर्कीगण-पन ५००० ५ अर्थात् शर्कीगण अर्थात्  
 नर विवेदन किया है कि शर्कीगण/वादीगण का दावा  
 इन्वॉयसी का नही करी नही. कलम संशोधन नोटिस  
 दिनांक 27.4.2005 के अन्तर्गत हाजरी रुद्र पेंदवी में  
 स्थापित हो गया था. उस दिन शर्कीगण गैरतन हाजरी  
 करते कलम नले गये थे जिससे तारीख पेशी की  
 आवश्यकता नहीं हो लनी तथा नतीजा सहब दीया  
 अर्थात् नतीजा होने के कारण हाजरी नही हो  
 सके। शर्कीगण कलम की शर्कीगण के कलम अर्थात्  
 इसलिये सभ्य पर आवश्यकता नही कर लने तथा  
 नतीजा सभ्य से आवश्यकता अनुपाधित नही रहे।  
 आवश्यकता होने ही भर शर्कीगण-पन डेरी दिने  
 किया ही अनुदान कर किया है। वादीगण का दावा  
 केवल सम्पत्ती का है. दावा स्थापित हो जाने से  
 वादीगण नही अनुपाधित करि होगी तथा कपे  
 जायज होने से वादीगण रह जाने से। अन्तः शं०पन  
 धारा 5 अर्थात् शर्कीगण स्वीकार कर डेरी नो सभ्य  
 करने हुए श. पन ०.१.६.१००० स्वीकार कर अन्तः  
 पुनः दर्ज करने के आदेश फरमावे।

शर्कीगण-पन दर्ज रजि. किया जाकर  
 कुन्याया करीबत किया गया तथा पूरा वाद  
 पताबली सम्पत्ती से तलब की गई। कुन्याया करीबत  
 ने शर्कीगण-पन का अन्तः अनुदान कर विवेदन  
 किया है कि वादीगण का दावा दिनांक 27.4.05  
 को अन्तः हाजरी रुद्र पेंदवी में स्थापित हो गया  
 जिले की अन्तः वादीगण ने दिनांक 26.9.13 को  
 उन्तः शर्कीगण-पन पेश किया गया है। अन्तः सभ्य  
 शर्कीगण-पन पेश करने की सभ्य अन्तः 90 दिन होती  
 है. अन्तः वादीगण ने शर्कीगण-पन 8 लाख का पेश  
 किया है तथा विलम्ब की कगधि माफ करने का  
 अन्तः अन्तः कारण भी नही बताया है। अन्तः शं०पन  
 सभ्य दर्ज स्थापित फरमाया जावे।

हमने उन्तः पक्ष के विद्वान सभ्य  
 की नर सुनी तथा अनुदान शर्कीगण-पन अन्तः  
 शं०पन एवं पूरा वाद पताबली का अन्तः  
 किया। शर्कीगण/वादीगण द्वारा भर दावा-

०३/११/१७ जगदाल



तारीख हुण्ड	हुण्ड की कार्यवाही इतिहासगत तालिका	नम्बर व तारीख अवकाश जो इस हुण्ड की तालिका में जारी हुण्ड
	<p>अन्तर्गत धारा 88-89, 91 व 188 R 7 Act                      दिनांक 19.10.2000 को प्रस्ताव दिया था।                      हुण्ड द्वारा दिनांक 18.8.2003 को कदम दायरी                      कदम चैरवी में स्वीकार कर दिया गया तत्पश्चात्                      भी दाना प्रविष्टादीगण की तलकी के लिए भी                      नियम था। इसके बाद हुण्ड द्वारा पुनः दिनांक                      16.7.04 को धारा 70-71 R 9 Act स्वीकार                      किया गया पुनः सर्व रजि. निमा प्रविष्टादीगण                      की तलकी में आगामी ना-पेसी 18.8.04                      नियम की गई। इसके पश्चात् दिनांक 27.4.05                      को तलकी की स्टेज पर ही दाना कदम-                      दायरी कदम चैरवी में स्वीकार कर दिया गया।                      इस प्रकार कादी. ने पुनः आठ नवंबर काद.                      दाना को नगर पर लेने का भर प्रार्थना-पत्र                      प्रस्तुत किया है जो फाद काद है तथा                      बिलम्ब से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का                      कोई उचित कारण भी प्रस्तुत नहीं                      करी बनाया है। ऐसी स्थिति में                      प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य                      नहीं पाया जाता है। अतः आदेश है                      कि प्रार्थना-पत्र का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत                      आदेश 9 नियम 9 का. दी. स्वीकार किया                      जाता है। पञ्चावली फैलान शुल्क लेका                      शामिल दफ्तर है।</p>	

3/2/7

(विमान लाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी  
 नगर (भरतपुर) गज०